

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीतासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या - ८३/२०२२

१. कन्तीदेवी पति पौण्ड्र गुणर निवासी सोदास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
प्राथी.....

बनाम

१. उदर पिता हरदेव गुणर निवासी सोदास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा व अन्य
विपक्षीयण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०गू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक 10/2/22

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०गू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोदास पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 68 आराजी नम्बर 05059

कुल किता. 0.1 रकबा. 0.5059

हेक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10/2/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अगिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश:

• प्राथी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....

सोदास पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 68 आराजी नम्बर 05059

कुल किता. 0.1 रकबा. 0.5059

हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लेमाजी को 450/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
करेड़ा जिला भीलवाड़ा